(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3641-पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-9-12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 240/11-12/अपील.

गुलुबा उर्फ गुलुआ पुत्र सट्टलू
निवासी ग्राम छीमक
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. बलुआ (फोत) वारिसान
   (1) श्रीमती सुताबाई विधवा बलुआराम
   (2) बहादुर
   (3) सोहन सिंह
   (4) प्रताप सिंह पुत्रगण स्व. बलुआराम
   (5) जानकी बाई
   (6) अंगूरी बाई
   (7) दमयन्ती पुत्रिया स्व. बलुआराम
   निवासी ग्राम छीमक
   तहसील डबरा जिला ग्वालियर
2. खलकूराम (फोत) वारिसान
   (1) पार्वती पुत्री स्व. खलकूराम
   निवासी ग्राम मगेह
   तहसील डबरा जिला ग्वालियर
   (2) बाबूलाल
   (3) कलियान सिंह
   (4) उधम सिंह उर्फ शिवचरन
   पुत्रगण स्व. खलकूराम
   (5) शीला
   (6) गुड्डी पुत्रियां स्व. खलकूराम
   निवासीगण ग्राम छीमक
   तहसील डबरा जिला ग्वालियर

3. मल्थूराम (फोत) वारिसान
   (1) दुरो बेवा मल्थूराम
   (2) होतम
   (3) हरवीर पुत्रगण स्व. मल्थूराम
   (4) हीरो
   (5) मुन्नी
   (6) कुसुम पुत्रिया स्व. मल्थूराम
   निवासीगण ग्राम छीमक
   तहसील डबरा जिला ग्वालियर
4. विधाराम
5. पोहप सिंह पुत्रगण चेहूराम
   निवासीगण ग्राम छीमक
   तहसील डबरा जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक अनावदेक क्रमांक 1 से 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-9-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम छीमक तहसील डबरा जिला ग्वालियर स्थित सर्वे क्रमांक 1382 रकबा 11 बिस्वा एवं सर्वे क्रमांक 1383 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि के व्यवस्थापन हेतु बलुआ, मल्थूराम, पोहपसिंह आदि द्वारा तहसील न्यायालय, डबरा के समक्ष राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया गया । तहसील न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 47/89-90/अ-19 दिनांक 28-6-90 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि व्यवस्थापित करने के आदेश प्रदान करते हुए भूमिस्वामी स्वत्व पर पट्टे जारी करने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष दिनांक 22-9-93 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-12-2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत

किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10-9-12 को आदेश पारित कर राजस्व पुस्तक पारिपत्र चार-3 की कंडिका 30(4) के अधीन द्वितीय अपील सुनने का प्रावधान नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया था । अतः अपर आयुक्त द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश के विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील सुनने की अधिकारिता नहीं होने के आधार पर विधि विपरीत आदेश पारित किया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये गये थें, किन्तु उक्त आवेदन पत्र का निराकरण किये बगैर अपील समाप्त करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अथवा निगरानी सुनने की अधिकारिता अपर आयुक्त को प्राप्त है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को तकनीकी आधार पर प्रकरण का निराकरण नहीं कर गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा कई प्रकरणों में यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि तकनीकी आधार पर किसी भी पक्षकार को उसके हक से वंचित नहीं किया जाना चाहिए । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक पक्ष द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है और जिस बिन्दु पर कोई तर्क श्रवण नहीं किये गये हों, उस बिन्दु का निराकरण नहीं किया जा सकता है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा आवेदक को सुनवाई का बिना अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के वारिसानों के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष त्रुटिपूर्ण रूप से द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, जबकि राजस्व पुस्तक पारिपत्र चार-3 की कंडिका 30(4) के अंतर्गत द्वितीय अपील सुनने की अधिकारिता अपर आयुक्त को नहीं होने से उनके द्वारा अपील समाप्त की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 4 व 5 पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत प्रकरण में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को एक बार प्रकरण सुनवाई के लिए ग्राह्य करने के बाद उक्त आवेदन पत्र को अभ्यावेदन मानते हुए सुनवाई करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर, द्वितीय अपील सुनने का प्रावधान नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया गया है, जो उचित कार्यवाही नहीं है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त के इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह आवेदक के आवेदन पत्र को अभ्यावेदन मान्य कर, उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुरूप निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-9-12 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर